

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 546] नई दिल्ली, मंगलवार, दिसम्बर 12, 1978/अग्रहायण 21, 1900
No. 546] NEW DELHI, TUESDAY, DEC. 12, 1978/AGRAHAYANA 21, 1900

इस भाग में छिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह भलग संकलन के रूप में
रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed
as a separate compilation.

उद्योग मंत्रालय

(औद्योगिक विकास विभाग)

(हथकरघा विकास आयुक्त का कार्यालय)

अधीनस्थता

नई दिल्ली, 12 दिसम्बर, 1978

क्र. आ. 707 (अ).—केंद्रीय सरकार, खादी और अन्य हथकरघा उद्योग विकास
(कपड़े पर अतिरिक्त उत्पादशुल्क) अधिनियम, 1953 (1953 का 12) की धारा 5 की
उपधारा (2) के खंड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, खादी और अन्य
हथकरघा उद्योग विकास (उत्पादशुल्क के संदाय से छूट) नियम, 1975 में और
संशोधन करने के लिए, निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का नाम खादी और अन्य हथकरघा उद्योग विकास
(उत्पादशुल्क के संदाय से छूट) संशोधन नियम, 1977 है।

- (2) ये इन नियमों के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से दो वर्ष पूर्व की तारीख से प्रवृत्त हुये सम्भले जायेंगे।

खादी और अन्य हथकरघा उद्योग विकास (उत्पाद-शुल्क के संदाय से छूट) नियम, 1975, जिसको समय-समय पर संशोधित किया गया है, में तृतीय परन्तुक के पश्चात् नियम 2 में निम्नलिखित परन्तुक अन्तःस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :—

“परन्तु यह भी कि व्यापार के प्रयोजनार्थ निकाले गये नियंत्रित वस्त्र और असंशोधित मध्यम ख, मध्यम ख, और मोटे और केवल मध्यम ख, और मोटे वस्त्रों को विरजित अथवा रंजित वस्त्र सहित सूती वस्त्रों के नमूने खादी और अन्य हथकरघा उद्योग विकास (कपड़े पर अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क) अधिनियम, 1953 (1953 का 12) के अधीन लगाये जाने वाले उत्पाद-शुल्क से मुक्त किये जायेंगे।”

[फा. सं. 15012/4/75-टेक्स-4]

एस. वेंगुगोपालन, निदेशक

MINISTRY OF INDUSTRY

(Department of Industrial Development)

(Office of the Development Commissioner for Handlooms)

NOTIFICATION

New Delhi, the 12th December, 1978

S.O. 707 (E).—In exercise of the powers conferred by clause (e) of sub-section (2) of section 5 of the Khadi and other Handloom Industries Development (Additional Excise Duty on Cloth) Act, 1953 (12 of 1953), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Khadi and other Handloom Industries Development (Exemption from Payment of Excise Duty) Rules, 1975 namely :—

1. (1) These rules may be called the Khadi and other Handloom Industries Development (Exemption from Payment of Excise Duty) Amendment Rules, 1977.
- (2) They shall be deemed to have come into force with effect from the date two years before the date of publication of these rules in the Official Gazette.

In the Khadi and other Handloom Industries Development (Exemption from Payment of Excise Duty) Rules, 1975 as amended from time to time, in Rule 2 after the 3rd proviso the following proviso shall be inserted, namely :—

“Provided also that samples of cotton fabrics including controlled fabrics and those of unprocessed medium-A, Medium-B and coarse and bleached or dyed only of Medium-B and coarse fabrics drawn for trade purposes shall be exempt from the duty of excise leviable under the Khadi and other Handloom Industries Development (Additional Excise Duty on Cloth) Act, 1953 (12 of 1953).

[F. No. 15012/4/75-Text. IV]
S. VENUGOPALAN, Director